

The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of Building) (Amendment) Act, 2023

Act No. 10 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 393 राँची, शुक्रवार, <u>7 जुलाई, 2023 (ई॰)</u>

16 आषाढ़, 1945 (श॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 7 जुलाई, 2023

संख्या-एल॰जी॰-03/2023-46--लेज॰, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-28/06/2023 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2023 (झारखण्ड अधिनियम- 10, 2023)

विषय सूची

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 1.
- निरसन और व्याव त्तियाँ 2.

इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) अधिनियम, 1951 (यथा अंगीकृत) को झारखण्ड राज्य में निरस्त करने के लिए एक अधिनियम ।

यह भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखंड राज्य के विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभः-
- (1) इस अधिनियम को इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) संशोधन अधिनियम, 2023 कहलाएगा।
- (2) इसका विस्तार पूरेझारखंड राज्य में होगा।
- (3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 2. निरसन और व्यावृ त्तियाँ इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) अधिनियम, 1951 (यथा अंगीकृत) को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है ।

परन्तु इस तरह के निरसन के बावजूद, एतद द्वारा निरसित अधिनियम के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई कार्रवाई या की गई कथित कार्रवाई, जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, को इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नितन कुमार, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 7 जुलाई, 2023

संख्या-एल॰जी॰-03/2023-47—लेज॰, झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-28/06/2023 को इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन)_अधिनियम, 2023 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE ITKI TUBERCULOSIS SANATORIUM (REGULATION OF BUILDING) (AMENDMENT) ACT, 2023

(Jharkhand Act- 10, 2023)

SUBJECT INDEX

- 1. Short Title, extent and commencement
- 2. Repeal and Savings

An Act to repeal the The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of Building) Act, 1951 (As adopted) in its application to the state of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the seventy fourth year of the republic of India as follows:-

- 1. Short Title, Extent and Commencement-
 - (1) This act may be called the The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of Building) (amendment) Act, 2023.
 - (2) It shall extend to the whole state of Jharkhand.
 - (3) It shall come into force with immediate effect.
- 2. **Repeal and Savings** The Itki Tuberculosis Sanatorium (Regulation of Building) Act, 1951 (As adopted) is hereby repealed.

Provided that Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the Act hereby repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नितन कुमार, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
